



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट- थाना राजेपुर

दिनांक :- 06.02.2024

एसओजी/सर्विलांस/थाना राजेपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0- 11/25 धारा- 309(4) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगणों को पुलिस मुठभेड में लूट से सम्बन्धित 26000/- रूपये सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/अधीक्षक फतेहगढ़ श्री अलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी/सर्विलांस/थाना राजेपुर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान 02 नफर अभियुक्तगण शिवम यादव व सुमित यादव को गिरफ्तार किया गया तथा 03 नफर अभियुक्त रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये। अभियुक्त सुमित यादव उपरोक्त के पैर में गोली लगने के कारण डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रू0 में पुलिस कर्मियों की निगरानी में इलाज चल रहा है व मौके से अभियुक्त शिवम यादव उपरोक्त को गिरफ्तार करते हुये दोनो अभियुक्तगण से मुकदमें से सम्बन्धित 26000/- रूपये बरामद किये गये व पुलिस मुठभेड में प्रयुक्त असलाह व कारतूस बरामद किये गये। मुकदमा उपरोक्त में धारा- 109/317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



घटना का संक्षिप्त विवरण - दिनांक 01.02.2025 को थाना राजेपुर क्षेत्र में वादी लकी खान पुत्र इकबाल खान निवासी ग्राम कुतलूपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ के लिखित प्रा0पत्र के आधार पर सफेद स्विफ्ट डिजायर कार में सवार बदमाशो द्वारा वादी के मुनीम रामऔतार को तमंचे से गोली मारकर घायल करना व वादी की मोटर साइकिल नं0 यूपी-76 एके-5184 के आगे कार लगाकर थैला छीन लेना जिसमें एक लाख सत्तर हजार रुपये नगद व दो गांठे जेवरात की जिसमें एक 20 हजार की व एक 25 हजार की छीन कर भागने के सम्बन्ध में मु0अ0स0- 11/25 धारा- 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। दिनांक 05/06.02.2025 की रात्रि संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग के दौरान बिना नम्बर प्लेट की स्विफ्ट डिजायर कार को बैरियर पर रुकने का इशारा किया गया जिस पर कार सवार अभियुक्तगणों द्वारा बैरियर तोड़कर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा पीछा करने पर कार सवार द्वारा फायरिंग की गयी जिसमें जवाबी कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ के दौरान कार में सवार 05 अभियुक्तगण में से 02 नफर अभियुक्तगण शिवम यादव पुत्र मुनेश नि0 जटोरा थाना जसरथपुर जनपद एटा व अभियुक्त सुमित यादव पुत्र किशनपाल नि0 प्रहलादपुर थाना जैथरा जनपद एटा को गिरफ्तार किया गया तथा 03 नफर अभियुक्त रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये। अभियुक्त सुमित यादव उपरोक्त के पैर में गोली लगने के कारण डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रू0 में पुलिस कर्मियों की निगरानी में इलाज चल रहा है व मौके से अभियुक्त शिवम यादव उपरोक्त को गिरफ्तार करते हुये दोनो अभियुक्तगणों से मुकदमें से सम्बन्धित 26000/- रुपये बरामद किये गये व पुलिस मुठभेड़ में प्रयुक्त 02 अदद तमंचा 315 बोर 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद जिन्दा मिस कारतूस 315 बोर व एक अदद गाड़ी स्विफ्ट डिजायर फोर व्हीलर रंग सफेद व 02 अदद पेन कार्ड, 02 अदद आधार कार्ड व 01 अदद ड्राइविंग लाइसेन्स, 02 अदद एटीएम कार्ड, 02 अदद मोबाइल फोन बरामद किये गये। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-109/317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगणों ने पूछताछ के दौरान बताया कि दिनांक 01.02.2025 को समय करीब 5.30 बजे राजेपुर से अमृतपुर की ओर जाने वाली सडक पर धर्मकाँटा के आगे मोटरसाइकिल सवार दो सर्राफा व्यापारियो से गोली मारकर लूट की थी इस घटना में मैं सुमित यादव व शिवम यादव व तीन अन्य साथी थे। हम सभी लोगो ने योजना बनाकर विना नम्बर की स्विफ्ट डिजायर कार से लूट की घटना को कारित किया था आज हम सभी उसी सामान का हिस्सा बाँटकर बेचने आये थे। जिसमें जो रूपया हम दोनो से बरामद हुआ है ये उसी लूट का है जिसे हमने स्वयं के खर्चे के लिए ले लिया था। लूट की घटना में शामिल अन्य 03 साथी मौके से भाग गये है लूट का शेष सामान उनके पास है। अभियुक्त सुमित उपरोक्त ने बताया कि कम्पिल क्षेत्र में डेढ महीने पहले भी एक व्यापारी के साथ लूट की थी, जिसमें मैं पहले से फरार चल रहा हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1- शिवम यादव पुत्र मुनेश नि0 जटोरा थाना जसरथपुर जनपद एटा उम्र करीब 19 वर्ष
- 2- सुमित यादव पुत्र किशनपाल नि0 प्रहलादपुर थाना जैथरा जनपद एटा उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

- 1- लूट से सम्बन्धित 26000/- रूपये
- 2- 02 अदद तमंचा 315 बोर
- 3- 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
- 4- 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर,
- 5- 01 अदद जिन्दा मिस कारतूस 315 बोर
- 6- 01 अदद गाड़ी स्विफ्ट डिजायर फोर व्हीलर रंग सफेद
- 7- 02 अदद पेन कार्ड,
- 8- 02 अदद आधार कार्ड व
- 9- 01 अदद ड्राइविंग लाइसेन्स,
- 10- 02 अदद एटीएम कार्ड,
- 11- 02 अदद मोबाइल फोन

अभियुक्त शिवम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

- 1- मु0अ0स0 11/25 धारा 309(4)/109/317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजेपुर, फतेहगढ़ ।

अभियुक्त सुमित उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

- 1- मु0अ0स0 11/25 धारा 309(4)/109/317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजेपुर, फतेहगढ़ ।
- 2- मु0अ0स0 04/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अलीगंज , जनपद एटा ।
- 3- मु0अ0स0 40/24 धारा 379/411 भा0द0स0 थाना जैथरा, जनपद एटा ।
- 4- मु0अ0स0 43/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जैथरा, जनपद एटा ।
- 5- मु0अ0स0 182/24 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल, जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली थाना राजेपुर पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेन्द्र सिंह सोलंकी
2. उ0नि0 आशुतोष सिंह
3. मु0आ0 सुबोध कुमार

